न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 89/2018

सुखजीत सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान

अन्तर्गत धारा 88 (आरटीए)

--निर्णय-- दिनांक : 31/12/18.

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 20 एच की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 49 के मु0 नं0 54 मे 0.151 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का नाम बुगर सिह पुत्र ठाना सिह दर्ज है जबकि सही नाम सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह है जिसे रिकार्ड मे सही कर बुगर सिह के स्थान पर सुखजीत सिह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र तथा राशन कार्ड की छाया प्रतिया पेश की तथा अपना शपथ पत्र इस बाबत पेश किया। संरपच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर के द्वारा प्रमाणित किया गया कि बुगर सिह पुत्र ठाना सिह व सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि प्रार्थी सुखजीत सिह के खाता संख्या 49 के मु0 नं0 54 मे अंकित नाम बुगर सिह के स्थान पर सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार केसरीसिहपुर के द्वारा अपने पृष्ठाकंन क्रमांक 1 दिनांक 12.06.2018 से रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया सहखातेदारों का जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदार सुखजीतसिह, गुरसाहबसिह, बलकरणसिह, उपस्थित आये सभी के बयान लिखे गये। सभी सहखातेदारो के द्वारा अपने ब्यानो ने जाहिर किया कि बुगरसिह पुत्र ठानासिह व सुखजीतसिह पुत्र ठानासिह एक ही व्यक्ति है। चक 20 एच की जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 49/45 के मु.नं.54 मे सहखातेदार सुखजीतसिह पुत्र ठानासिह किया जावे तो हमे कोई आपति नही है। नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी एव सहखातेदारो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 20 एच की जमाबंदी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 49/39 के मु0 नं0 54 की कुल 0.734 हैक्टर भूमि मे बुगर सिह पुत्र ठाना सिह के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो मे नाम सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह अंकित है। इस संबंध मे प्रार्थी के द्वरा शपथ पत्र भी पेश किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बुगर सिह पुत्र ठाना सिह व सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। नायब तहसीलदार केसरीसिहपुर के द्वारा उक्तानुसार दुरस्ती किया जाना प्रस्तावित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 एच की जमाबंदी संवत 2070 ता 73 के खाता सं0 49/39 में अंकित नाम बुगर सिह पुत्र ठाना सिह के स्थान पर बुगरसिंह उर्फ सुखजीत सिह पुत्र ठाना सिह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस खाता के शेष अंकन बदस्तूर रहेगें। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक...31/12/18....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना छिम्पा आर.ए.एस}

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner